



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 752]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 14, 2019/माघ 25, 1940

No. 752]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 14, 2019/MAGHA 25, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2019

का.आ. 874(अ).— केन्द्रीय सरकार चीनी कीमत (नियंत्रण) आदेश, 2018 के खण्ड-3 और खण्ड-7 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि-

(क) चीनी का कोई भी उत्पादक अगले आदेश होने तक इकतीस रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कम पर घरेलू बाजार में सफेद अथवा परिष्कृत चीनी की बिक्री नहीं करेगा अथवा बिक्री के लिए सहमत नहीं होगा अथवा अन्यथा निपटान अथवा परिदान नहीं करेगा अथवा परिदान हेतु सहमत नहीं होगा अथवा उस कारखाने, जहां इसका उत्पादन घरेलू बाजार में बिक्री के लिए किया जाता है, के गोदामों से सफेद अथवा परिष्कृत चीनी को नहीं हटाएगा;

(ख) इस आदेश के प्रवर्तन के लिए इसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 1(2)/2019-एसपी-1]

सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department Of Food And Public Distribution)****ORDER**New Delhi, the 14th February, 2019

S.O. 874 (E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with clauses 3 and 7 of the Sugar Price (Control) Order, 2018, the Central Government hereby directs that —

(a) no producer of sugar shall sell or agree to sell or otherwise dispose off or deliver or agree to deliver white sugar or refined sugar in the domestic market or remove white sugar or refined sugar from the godowns of the factory in which it is produced for sale in the domestic market, at a rate below rupees thirty one per kilogram till further orders;

(b) the powers exercisable by it for enforcing this Order shall also be exercisable by the State Government and Union Territory Administration.

2. This order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No.1(2)/2019-SP-I]

SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy.